**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2021

**का.आ. 1439(अ).—**केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 250 की उपधारा (6ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र , असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) संख्यांक का.आ. 3297 (अ) दिनांक 25 सितंबर 2020 में प्रकाशित की गयी थी, में "राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र ", पद के स्थान पर "राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र" पद जहां जहां वह आता है को प्रतिस्थापित करके, संशोधन करती है ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 27/2021/फा. सं. 370142/33/2020-टीपीएल]

शेफाली सिंह, अवर सचिव (कर नीति व विधान प्रभाग)

**टिप्पण:** मुख्य स्कीम भारत का राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) की अधिसूचना सख्या का.आ. 3297 (अ), दिनांक 25 सितंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसे अब तक संशोधित नहीं किया गया है।